





621112 बनावट नारायण

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>10/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>15.11.21</p>	<p>वकुलाय 39-1 स्थागन पत्रावली डूल पत्रावली के साथ दिनांक 07.12.21 को पेश हो।</p> <p></p> <p>ज.सि. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>07.12.21</p>	<p>वकुलाय 39-1 स्थागन पत्रावली डूल पत्रावली के साथ दिनांक 18.01.22 को पेश हो।</p> <p></p> <p>ज.सि. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>18/1/22</p>	<p>Covid-19 के कारण वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 22/2/22 को पेश हो।</p>	
<p>22/02/22</p>	<p>वकुलाय 39-1 स्थागन पत्रावली डूल पत्रावली के साथ दिनांक 23/03/22 को पेश हो।</p> <p></p> <p>ज.सि. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>23/3/22</p>	<p>पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 21.5/22 को पेश हो।</p>	
<p>02/05/22</p>	<p>पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 01.06/22 को पेश हो।</p>	
<p>11/05/22</p>	<p>वकील आदी ने एक अर्चना पत्र पेश किया/पत्रावली काज पेश हुई। वकील आदी ने निवेदन किया कि वे अर्चना पत्र में कोई अनुसंधान नहीं करते इसलिए अविषय में पुनः आवेदन पेश करने का इतिहास मुझसे रखते हुए पत्रावली को जरूरी विद्वान खारिज किया जावे। पत्रावली जरूरी विद्वान खारिज हो जाती है। पत्रावली फेल्ल में शुमार होकर नष्ट हो चुकी है।</p> <p></p> <p>ज.सि. जिला कलेक्टर, पाली</p>	